न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 87/2018 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र, अधिकारी जिला रसद विभाग, भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री पुरूषोत्तम सिंह पिता नाथूसिंह राठौड़ निवासी ग्राम गुढ़ा तहसील माण्डल मालिक जोधपुर स्वीट्स एण्ड नमकीन माण्डल चौराहा, माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्री नवरत्न सिंह पिता मनोहर सिंह निवासी गुढा संचालक ढाबा परिसर, जोधपुर स्वीट्स एण्ड नमकीन माण्डल चौराहा, माण्डल
3. श्री सुरेश कुमावत पिता नारायण कुमावत निवासी गुढा मैनेजर, जोधपुर स्वीट्स एण्ड नमकीन, माण्डल चौराहा, माण्डल जिला भीलवाडा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 30.07.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के आदेश कमांक 13 दिनांक 03.04.2018 के कम में दिनांक 10.04.2018 को माण्डल चौराहा स्थित जोधपुर स्वीट्स एण्ड नमकीन एवं मिठाई एवं नमकीन दुकान के परिसर में ही संचालित ढाबा का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर श्री नवरतन सिंह पुत्र मनोहर सिंह निवासी गुढा तहसील माण्डल मिले जिन्होनें स्वयं को उपरोक्त भोजनालय का मैनेजर होना बताया। मैनेजर ने भोजनालय के मालिक का नाम श्री पुरूषोत्तम सिंह पुत्र नाथुसिंह राठौड निवासी गढा तहसील माण्डल होना बताया। निरीक्षण के दौरान मौके पर 02 (दो) 14.2 किग्रा वाले आई.ओ.सी.एल. कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मिले। मौके पर आरोपी द्वारा सिलेण्डरों के कागजात पेश नहीं किये गये। वक्त निरीक्षण भोजनालय कर्मचारी द्वारा 01 सिलेण्डर कमांक 886459 को छोटे चूल्हा से रेगुलेटर एवं रबर पाईप के माध्यम से जोड़कर चुल्हे पर पकौड़ी बनाकर उपभोक्ताओं को पकौड़ी का विकय किया जा रहा था। दूसरा सिलेण्डर कमांक 512977 भोजनालय में भण्डारित था। इस प्रकार आरोपी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवैध भण्डारण एवं गैर कानूनी ढंग से घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पाया गया। अतः वजह सबूत आरोपी मैनेजर श्री नवरतन सिंह पुत्र मनोहर सिंह निवासी गुढा तहसील माण्डल के कब्जे से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 10.2 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 3 गैस चूल्हा, 2 रेगूलेटर एवं 2 रबर पाईप जब्त सरकार किया जाकर श्री राधेश्याम गुर्जर पुत्र सुखदेव गुर्जर निवासी गुढा तहसील माण्डल मैनेजर आसीन्द गैस ऐजेन्सी माण्डल को सुपुर्दगी में दिये गये। चूंकि आरोपी द्वारा एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 10.2 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 3 गैस चूल्हा, 2 रेगूलेटर एवं 2 रबर पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावें। चूंकि द्रवित पेट्रोलियम गैस ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ हैं एवं प्रकरण के निस्तारण मे समय लगने से विस्फोट होने एवं चूल्हे के खराब होने की संभावना हैं। अतः प्रकरण में अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.05.2018 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ दिनांक 26.07.2018 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के आदेश क्रमांक 13 दिनांक 03.04.2018 के क्रम में दिनांक 10.04.2018 को माण्डल चौराहा स्थित जोधपुर स्वीट्स एण्ड नमकीन एवं मिठाई एवं नमकीन दुकान के परिसर में ही संचालित ढाबा का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर श्री नवरतन सिंह पुत्र मनोहर सिंह निवासी गुढा तहसील माण्डल मिले जिन्होनें स्वयं को उपरोक्त भोजनालय का मैनेजर होना बताया। मैनेजर ने भोजनालय के मालिक का नाम श्री पुरूषोत्तम सिंह पुत्र नाथुसिंह राठौड निवासी गढा तहसील माण्डल होना बताया। निरीक्षण के दौरान मौके पर 02 (दो) 14.2 किग्रा वाले आई.ओ.सी.एल. कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मिले। मौके पर आरोपी द्वारा सिलेण्डरों के कागजात पेश नहीं किये गये। वक्त निरीक्षण भोजनालय कर्मचारी द्वारा 01 सिलेण्डर क्रमांक 886459 को छोटे चूल्हा से रेगुलेटर एवं रबर पाईप के माध्यम से जोड़कर चुल्हे पर पकौड़ी बनाकर उपभोक्ताओं को पकौड़ी का विक्रय किया जा रहा था। दूसरा सिलेण्डर क्रमांक 512977 भोजनालय में भण्डारित था। इस प्रकार आरोपी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवैध भण्डारण एवं गैर कानूनी ढंग से घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना पाया गया। अतः वजह सबूत आरोपी मैनेजर श्री नवरतन सिंह पुत्र मनोहर सिंह निवासी गुढा तहसील माण्डल के कब्जे से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 10.2 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 3 गैस चूल्हा, 2 रेगूलेटर एवं 2 रबर पाईप जब्त सरकार किया जाकर श्री राधेश्याम गुर्जर पुत्र सुखदेव गुर्जर निवासी गुढा तहसील माण्डल मैनेजर आसीन्द गैस ऐजेन्सी माण्डल को सुपुर्दगी में दिये गये। चूंकि आरोपी द्वारा एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 10.2 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 3 गैस चूल्हा, 2 रेगूलेटर एवं 2 रबर पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावें। चूंकि द्रवित

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पेट्रोलियम गैस ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ हैं एवं प्रकरण के निस्तारण मे समय लगने से विस्फोट होने एवं चूल्हे के खराब होने की संभावना हैं। प्रकरण में अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) पर हस्ताक्षर किये एवं गैस का व्यावसायिक उपयोग का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक कार्य हेतु घरेलू गैस का उपयोग किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 10.2 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 3 गैस चूल्हा, 2 रेगूलेटर एवं 2 रबर पाईप को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 10.2 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 3 गैस चूल्हा, 2 रेगूलेटर एवं 2 रबर पाईप को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 10.2 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 3 गैस चूल्हा, 2 रेगूलेटर एवं 2 रबर पाईप का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा